न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 46 / 2018

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक : 22/1/2019

तारीख दर्ज : 30.08.2018

सरकार जरिये पटवारी हल्का कुचामन सिटी **बनाम** बालकिशन पुत्र रामेश्वरलाल जाति मेघवाल नि. पांचवा

–: निर्णय :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनुपस्थित प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **पांचवा** द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बालकिशन पुत्र रामेश्वरलाल जाति मेघवाल नि. पांचवा ने पांचवा के खसरा नम्बर 414 रकबा 1.19 हैक्टयर किस्म चाही जाव भूमि पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये किया गया।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु समय चाहा गया। प्रार्थी को समय दिया गया, लेकिन अप्रार्थी की ओर से जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे प्रार्थना – पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिकमण किया है एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा हनुमानपुरा के आराजी राज खसरा नम्बर 414 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर किस्म चाही जाव भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 21.42 रू का पच्चास गुणा से राशि रू0 1071/– अक्षरे एक हजार इकेतर रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 22/1/19 **को मेरे हस्ताक्षर** व न्यायालय की मुद्रा से जारी **कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(महावीर प्रसार शर्मा)